

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014-15 / 2235

जयपुर, दिनांक: 25/06/19

:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम-38 में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान अंकित है। नियम-38 के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

38. Safeguard against impersonation.- (1) Every voter about whose identity the Returning Officer or the Polling Officer, as the case may be is satisfied shall allow his left hand fore-finger to be inspected by the Returning Officer or the Polling Officer, and cause an indelible ink mark to be put on it.

Explanation.- Any reference in this rule to the left hand fore-finger of a voter shall, in the case where voter has his left hand fore-finger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing be construed as reference to the fore-finger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन पृथक-पृथक चरणों में होने पर पश्चात्पूर्वी चरण में होने वाले निर्वाचन तथा लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में मतदान अधिकारियों के समक्ष मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः आयोग राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

1. पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान पृथक-पृथक दिवसों में होने पर पूर्ववर्ती निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में पश्चात्पूर्वी निर्वाचन में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
2. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर

अंकित किया जाएगा। (लोकसभा एवं विधानसभा के किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमिट स्याही लगाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।)

3. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में जिन पदों के लिए पहले निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा तथा जिन पदों पर बाद में निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :- जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (बायें) हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जावेगा। इसी तरह जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान दायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (दायें) हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जावेगा।

4. पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
5. उक्त निर्देशों की क्रियान्विति में यदि किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली नहीं हो, तो वहां अमिट स्याही का निशान अंकित किए जाने हेतु नियम-38 के स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

आज्ञा से,

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014-15 / 2236-40

जयपुर, दिनांक: 25/06/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य/पंच एवं सरपंच मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव, 25/6/2019
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर